

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ ८६९५-९६ दिनांक :- २६/३/२०१

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या ४०/२०१४-१५

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना प.2 (11) वित्त/राजस्व/९६ पार्ट-II दिनांक 20. 05.08 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 10.11.2008 में दिये गये निर्देशों तथा निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (15) का.प्र/पी.डी/डीएलबी./ 2012/2198 दिनांक 27.02.15 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में स्थानीय निकाय विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को समाप्त किया जाता है:-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ. ग्रेड-I	स.ले.अ. ग्रेड-II	क.ले.
1	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर	01	-	-
	गोग	01	-	-


१०

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ ८६९५-९६ दिनांक :- २६/३/२०१५

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सहायक अलेसे- I विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)